International Journal of Research inSocial Science
Vol. 12 Issue 04, April 2022,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

वैश्वीकरण का किशोरों की अपराध प्रवृत्ति पर बढता प्रभाव

ALKA RANI SHARMA
RESEARCH SCHOLAR,
MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY (MLSU),
UDAIPUR, RAJASTHAN

सारांश- वर्तमान समय में हमारे देश में किशोर अपराध की घटनाओं में निरंतर तेजी से वृद्धि हो रही है वहीं जितना ज्यादा हमारा समाज औद्योगीकरण, नगरीकरण, पश्चमीकरण तथा वैश्वीकरण की ओंर बढा उतनी ही किशोर अपराधियों की संख्या में बढोतरी हुई। इस बात की पुष्टि समाजशास्त्री इमाईल दुर्खीम ने भी अपनी कृति 'अपराध एक सामान्य घटना' में भी बताया कि 'समाज चाहे देवदूतों जैसे गुणों वाले लोगों से भी क्यों न बना हो, फिर भी उसके मानदण्डों का उल्लंघन किया जायेगा। दरअसल, अपराध सामाजिक परिवर्तन के समानांतर निरंतर चलते रहने वाली परिघटना है।' अतः आज के आधुनिक समाज में किशोरों की अपराध प्रवृत्ति को बढाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है - मोबाईल, इंटरनेट, गरीबी, बेरोजगारी, भौतिकतावाद, पारिवारिक विघटन, सिनेमा, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं एकल महिला की परिस्थिति आदि इन सभी के प्रभाव का विवरणात्मक अध्ययन यहाँ किया गया है।

मूल शब्द - वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण

प्रस्तावनाः- वर्तमान समय में किशोर अपराध एक गंभीर समस्या बनी हुई है। यह न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में लिये हुए है। देश का भविष्य बालकों पर निर्भर करता है। पहले यह माना जाता था कि अपराधी अपराध करने की प्रवृत्ति अपने माँ-बाप से ही लेकर आता है लेकिन अब यह स्पष्ट हो चुका है कि कोई भी बालक जन्म से अपराधी नहीं होता। अपराध एक सामाजिक रोग है जो समाज में विद्यमान परिस्थितियों की उपज है। समाज में उपस्थित परिस्थितियाँ ही व्यक्ति को अपराधी बनाती है। अतः बालकों की जैसी परिस्थितियाँ होंगी जैसे उन्हें संस्कार मिलेंगे, वे वैसे ही बनेंगे। बालक तो सदैव ही परिवार में अपने से बडे लोगों का अनुसरण करता है। इसके साथ ही यदि किसी बालक की संगति ऐसे लोगों की है जो आपराधिक प्रवृत्ति के है तो वह बालक भी आपराधिक कार्य और उसकी तकनीक सीख जाएगा। 'टार्डे ने इसलिये यह निष्कर्ष निकाला था कि मनुष्य आपराधिक कार्यों को नकल करके सीखता है।'

प्रत्येक किशोर अपराधी के अपराध का कोई न कोई कारण अवश्य होता है अपराध का कारण चाहे जो भी रहा हो, मूल रूप से अपराध के कारण कहीं न कहीं समाज में ही व्याप्त होते है और इसका नकारात्मक परिणाम भी समाज पर ही पडता है। बालक के मस्तिष्क की तुलना कुम्हार के मटके से की जा सकती है। जब मटका बनते वक्त गीला होता है उसे एक आकार दे दिया जाता है उसके सूखने, पकने के बाद कुछ भी परिवर्तन संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार बालक का मस्तिष्क भी गीली मिट्टी के मटके जैसा होता है। इस दौरान उसका जैसा समाजीकरण हो जाता है, आगे चलकर वही उसकी प्रवृत्ति बन जाती है जिसे परिवर्तित करना बहुत ही मुश्किल है। इस समय उसका मस्तिष्क उन संस्कारों, नियमों और व्यवहार प्रतिमानों को सीख रहा होता है। इस दौरान उसके पास अपने स्व-

विवेक की कमी होती है और उसके द्वारा किया गया सारा व्यवहार उसके इसी अल्प स्व-विवेक से निर्देशित होता है।

राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की वर्ष 2017 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016में किशोर अपराध के 1 लाख 6 हजार 958 मामले दर्ज हुए जबकि वर्ष 2015में बच्चों के खिलाफ अपराध की संख्या 94172 थी वहीं 2015 के मुकाबले 13.06 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई जबकि ऐसे अपराधों में 2015 में 2014 के मुकाबले 5.30 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। किशोर अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। तीनों राज्यों में इसके 15.30 प्रतिशत, 13.60 प्रतिशत और 13.10 प्रतिशत मामले दर्ज हुए। हत्या, अपहरण, अपराध में नाबालिग बच्चों की संलिप्तता और आर्थिक अपराध में दिल्ली शीर्ष पर है।

किशोर देश का भविष्य और अनमोल राष्ट्रीय संपत्ति है और आने वाले समय में उनके मजबूत कंधो पर देश और परिवार के भविष्य की बहुत बडी जिम्मेदारी होगी। इसलिये सरकार, समाज, माता-पिता, अभिभावक के रूप में हम सभी का एक नैतिक कर्तव्य है कि हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये उन्हें स्वस्थ सामाजिक - सांस्कृतिक वातावरण में बडा होने का अवसर प्रदान करें ताकि वे बडे होकर देश के जिम्मेदार नागरिक के रूप में शरीर से हष्ट-पुष्ट, मानसिक रूप से विद्वान और नैतिक रूप से सदाचारी बन कर अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वाह कर सके। माता-पिता और सरकार का कर्तव्य है कि वे बच्चों के विकास के लिये समान अच्छे अवसर प्रदान करें इसके साथ ही सरकार का दायित्व है कि समाज में व्याप्त असमानता को कम करने के लिये सभी बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। हमारे देश में बच्चों से आज्ञाकारी बनने, बड़ों का आदर-सम्मान करने वाला और अपने अंदर अच्छे गुणों को धारण करने वाले होने की अपेक्षा की जाती है और अधिकतर बच्चे इस पर अमल भी करते है। 11 से 16 वर्ष की किशोरावस्था की उम्र बेहद महत्वपूर्ण होती है। उसी दौरान उनके व्यक्तित्व निर्माण और सर्वांगीण विकास की ठोस नींव रखी जाती है। ऐसे में उनका किशोर उम्र में विशेष ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि यही वह समय है जब बच्चे के गलत रास्ते पर चलने की आशंका सबसे अधिक होती है। अधिकतर बच्चे अपने परिवार, समाज और सरकार के बनाये नियमों को मानते है, लेकिन कुछ बच्चे अनुशासन और नियमों को नहीं मानते है। इनमें से ही कुछ बच्चे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते है, जिसके चलते उन्हें समाज में किशोर अपराधी के रूप में जाना जाता है।

आज भारतीय समाज में किशोर अपराध की दर दिन-प्रतिदिन बढती जा रही है, साथ ही इसकी प्रकृति भी जटिल होती जा रही है। इसका सबसे बडा कारण है कि वर्तमान समय में बहुत तेजी से हो रहे नगरीकरण तथा औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया ने एक ऐसे वातावरण का सृजन कर दिया है, जिसमें अधिकतर परिवार अपने ही बच्चों पर नियंत्रण रखने और उन्हें संस्कारवान बनाने में विफल सिद्ध हो रहे है सभी पैसे कमाने की दौड में इतने व्यस्त हो गए है कि भोले-भाले बचपन को ठीक से समय नहीं दे पा रहे है इसके चलते आज बच्चों की वैयक्तिक स्वतंत्रता में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण कुछ बच्चोंमें नैतिक मूल्यों का बहुत तेजी से क्षरण होने लगा है। इसके साथ ही अत्यधिक प्रतिस्पर्धा ने किशोरों में तनाव को पैदा किया है। आज जिस आसानी से बच्चों को मोबाईल फोन, कम्प्यूटर और इंटरनेट उपलब्ध है, उसने इन्हें परिवार और समाज से अलग कर अकेलेपन में जीना सिखा दिया है इसके चलते आज देश में बहुत तेजी से बच्चे तनाव और अवसाद के शिकार होकर अपराध में लिप्त हो रहे है। आज देश में बहुत सारे किशोर कई खतरनाक अपराधों

में लिप्त पाए जाते है जैसे कि चोरी, लूट, झपटमारी, लडाई-झगडे, हत्या, सामूहिक दुष्कर्म आदि। यह माता-पिता के साथ -साथ परिवार, समाज और सरकार के लिये भी बहुत बडी चिंता का विषय है क्योंकि बच्चों के द्वारा किये जाने वाले आपराधिक कृत्य माता-पिता, परिवार और समाज को झकझोर के रख देते है और देश के लिये बहुत नुकसानदेह होते है।

'फ्रेडरिक थ्रेसर' का गिरोह सिद्धांत समूह अपराध पर केन्द्रित है तथा वह कोहेन व क्लोवार्ड मिलर की तरह ही साथियों के प्रभाव को स्पष्ट करता है। थ्रेसर यह नहीं कहता कि गिरोह अपराध का कारण है बल्कि वह कहता है कि गिरोह किशोर अपराध में सहयोग करता है। उस प्रक्रिया को समझाते हुए जिसमें कोई समूह व्यवहार संबंधी कुछ विशेषताओं को अपनाता है और फिर उन्हें अपने सदस्यों को प्रेषित करता है, थ्रेसर कहता है कि गिरोह किशोरावस्था की अवधि में निरंतर खेल-समूहों और अन्य समूहों के बीच संघर्ष से उत्पन्न होता है।

'शॉ और मैके' ने सांस्कृतिक पारगमन का सिद्धांत में बताया कि अपराध व्यक्तिगत तथा समूह संपर्क के द्वारा संप्रेषित किया जाता है तथा प्रभावी सामाजिक नियंत्रण एजेंसियों की कमी देश के कुछ बडे नगरों में अपराध की ऊँची दर में सहायक होती है। 'अपराध क्षेत्र' निम्न आय तथा भौतिक रूप से अवांछित क्षेत्र होते है जिनके सदस्य आर्थिक उपेक्षाओं के शिकार होते है इन क्षेत्रोंमें लडके आवश्यक रूप से असंगठित, कुसमायोजित या असामाजिक नहीं होते है। इन क्षेत्रों में मौजूद अपराधी परंपराओं का प्रभाव ही उन्हें अपराधी बनाता है। यदि यह 'प्रभाव' नहीं होता तो वे अपराध से अलग अन्य क्रियाओंमें संतुष्टि प्राप्त करते।

फ्रेडरिक थ्रेसर और शॉ और मैके ने यह पाया कि बालक अपराधी इसलिये बन जाता है क्योंकि वह आपराधिक प्रवृत्ति रखने वाले लोगों से मिलता है, उनके संगति में रहता है।

सामाजिक परिवर्तन का प्रभावः- वैश्वीकरण के बढते दौर में गतिशील समाज में सामाजिक परिवर्तन का होना अनिवार्य है। सामाजिक परिवर्तन को असमायोजन, संघर्ष और सांस्कृतिक परिवर्तन में देखा जा सकता है। सामाजिक विघटन के कारण सामाजिक नियंत्रण का परंपरागत ढाँचा चरमरा जाता है। ऐसे त्वरित सामाजिक परिवर्तनों के कारण ही शहरी क्षेत्रोंमें और विशेष रूप से महानगरों में अपराध बहुत बढ जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग नए शहरों में आते है वे इस बेशक्ल जनसमाज के असंवेदनशील बहुरूपियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में असमर्थ होते है। एक ओंर तो उन पर से परंपरागत मानदण्डों और पारिवारिक वफादारियों का नियंत्रण समाप्त हो जाता है वहीं दूसरी ओंर संगी-साथियों के अभाव में ये बैचने रहते है और खुद को असुरक्षित महसूस करते है। दुर्खीम के शब्दों मेंकहें तो वे 'शहरी दुनिया की उडती धूल के लघु कण' बनकर रह जाते है। इस प्रकार शहरी जिंदगी का बहुरूपियापन, उनके बीते दिनों के सुखद सामाजिक संबंधों को नष्ट कर देता है और उनके जीवन में एक सामाजिक रिक्तता पैदा हो जाती है, जो आपराधिकता के लिये उर्वर भूमि साबित होती है। ऐसी ही हालत में हिंसा और अपराध पनपते है।

संचार माध्यम या सिनेमा का प्रभावः- विभिन्न विशेषज्ञों ने मानव मन को प्रभावित करने में संचार माध्यमों की महत्ता पर बल दिया है। टेलीविजन और फिल्में, दृश्य और श्रव्य के मिले-जुले प्रभाव के कारण, देखने वालों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा असर डालने में सक्षम है। टेलीविजन या सिनेमा हॉलों में दिखाई जाने वाली अधिकतर फिल्मों में हिंसा के दृश्य दिखाए जाते है। गलत बात यह है कि युवा लोग इसे ही पसंद करते है और प्रायः असली जीवन में उनकी नकल करने की कोशिश करते है।

सिनेमा और टेलीविजन में जो कुछ भी किशोर देखते है उसी का परिणाम किशोर अपराध है। इसी तरह अश्लील साहित्य भी युवाओं के सहज प्रभाव्य मान पर अस्वस्थ प्रभाव डालता है।

गरीबी का प्रभावः- वैश्वीकरण के बढते दौर में गरीबी को भी अपराध का एक मुख्य कारक माना जाता है। हरमैन मैनहीन ने अपराध के कारण के रूप में आर्थिक कारकों के महत्व की ओंर ध्यान केन्द्रित किया है। उनके अनुसार गरीबी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से अपराध का कारण बनती है तथापि अकेले गरीबी सभी आर्थिक अपराधों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कारण नहीं हो सकती। अपर्याप्तता, हताशा या भावनात्मक असुरक्षा की अनुभूति आपराधिक प्रवृत्ति को जगाने में प्रायः प्रबल भूमिका अदा करती है।

नाबालिक अपराध और गरीबीः- नाबालिगों को जघन्य अपराध से दूर रखने के लिये राज्यसभा में एक सख्त विधेयक पारित किया गया है लेकिन आँकडे बताते है कि ऐसे अपराधों में ज्यादातर गरीब घरों के बच्चे शामिल होते है।

नाबालिग अपराधियों के परिवार की वार्षिक आय

क्र.सं.	नाबालिग अपराधियों के परिवार की वार्षिक आय	नाबालिग अपराधियों का प्रतिशत
1	25,000/- तक	55.6%
2	25,000/- से 50,000/- तक	22.4%
3	50,000/- से 1,00,000/- तक	14.3%
4	1,00,000/- से 2,00,000/- तक	5.2%
5	2,00,000/- से अधिक	2.5%

गरीब अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने के लिये मजबूर होते है इसलिये सरकार को देश से गरीबी खत्म करने के लिये ठोस कदम उठाने चाहिए।

गरीबी और किशोर अपराध का रिश्ता बहुत गहरा है। सबसे कम आमदनी वाले सबसे ज्यादा अपराधी पाए गए है। इससे पता चलता है कि गरीबी अशिक्षा को जन्म देती है और अशिक्षा अपराधी बनने को मजबूर करती है इसके लिये हमारा सामाजिक वातावरण, धर्म व संस्कृति ही सर्वाधिक जिम्मेदार है।

बेरोजगारी और अपराधः- अपराध की ओंर बढता किशोर एक तरफ तो देश का भविष्य कहलाता है वहीं दूसरी तरफ किशोर बेरोजगारी की वजह से अपराध प्रवृत्ति में लिप्त होकर अपराध कर बैठता है। युवाओं के लंबे समय तक बेरोजगार रहने से उनका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। कोरोना महामारी ने बेरोजगारी की स्थिति को और भी बढा दिया इसलिये यह आवश्यक हो गया कि युवाओं के कौशल विकास की तरफ ध्यान दिया जाए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। जब व्यक्ति के पास आय के साधन नहींहोते तो वह अपराध करने को मजबूर होकर आदतन अपराधी बन जाता है। अगर हर व्यक्ति के पास अच्छा रोजगार हो तो अपराधों की मात्रा में कमी देखी जा सकती है। युवा के पूर्ण रूप से शिक्षित होने के बाद भी उसे रोजगार न मिलने की स्थिति में वह विचलित हो जाता है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिये अपराध की ओंर बढने लगता है।

बेरोजगारी के कारण किशोरों में लूटमार और चोरी के अपराधों में वृद्धि देखी जा सकती है। समाज में आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ लोग बेरोजगार व्यक्ति को अपनी ओंर मिलाकर उनसे अपराध

करवाते है। यदि मनुष्य के संस्कार अच्छे है तो बेरोजगारी उसके व्यक्तित्व को निखार देती है लेकिन वही बेरोजगारी संस्कार विहीन मनुष्य को अपराध की ओंर धकेल कर पशु बना देती है।

भारत में भयावह रूप से बढ रही बेरोजगारी ने युवाओं को निराशाजनक स्थिति में पहुँचाकर पथभ्रष्ट किया है। योग्यतानुसार काम ना मिलने और कम समय में अधिक पैसे कमाने की लालसा के कारण युवा पीढी साइबर अपराध और नशे की ओंर बढ रही है। आय का निश्चित स्त्रोत नहीं होने के कारण शिक्षित युवा बेरोजगारों को अनैतिक प्रवृत्तियों और अपराध की ओंर धकेल दिया है। युवाओं को गुमराह होने से बचाने के लिये आवश्यकता इस बात की है कि बेरोजगारी की समस्या की ओंर गंभीरता से ध्यान दिया जाए।

परिवार और समाज का प्रभावः- परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं का व्यक्ति पर सर्वाधिक प्रभाव पडता है। यदि किसी की परवरिश अच्छे नैतिक मूल्यों वाले परिवार में नहीं हुई है या समाज में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के साथ रहता है या उसे अच्छी शिक्षा और रोजगार न मिल पाए तो भी संभावना होती है कि वह व्यक्ति अपराधी बन जाए इसलिये अपराध में कमी लाने के लिये परिवार, समाज और सरकार सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। परिवार में बच्चों की नैतिक मूल्यों के साथ परवरिश करनी होगी, वहीं सरकार को कोशिश करनी होगी कि वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी तक पहुँचाए और रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाए।

भौतिकवाद का प्रभावः- दिखावे और खर्चीली प्रवृत्ति भी युवा वर्ग को अपराध की ओंर जाने पर मजबूर कर रही है। शौक पूरे नहीं होते तो कुछ युवा मजबूरीवश राह भटककर अपराध करने को मजबूर हो जाते है। अच्छा रहन-सहन, खान-पान व लग्जरी चीजें पाने के शौक में किशोर अपराध प्रवृत्ति की ओंर बढ रहा है। भौतिक चीजों को पाने की लालसा के कारण चोरी, लूटपाट, मारपीट यहाँ तक कि हत्या तक कर देता है। जितने समाज में संसाधन बढे है उतना ही अपराध की संख्या में वृद्धि हुई है।

किशोर अपराध प्रवृत्ति में एकल महिला की भूमिकाः- एकल महिला के अकेले रहने के कारण वही समाज द्वारा सामाजिक, मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान रहने लगती है व भरण-पोषण के लिये घर से बाहर जाकर काम करने के कारण बच्चों पर से उनकी लगाम छूट जाती है और बच्चों को अच्छे संस्कार व वातावरण ना देने के कारण बच्चे भी अपराध प्रवृत्ति में पढकर चोरी करना, लूटपाट, नशा करना, गुटखा व सिगरेट लेना, अश्लील मूवी देखना व आवारागर्दी करना और हत्या जैसे गैर कानूनी कार्यों में लिप्त रहने लगते है।

राजस्थान के टोंक जिले की एक ही परिवार की 2महिलाओं का अध्ययन करने पर पता चला कि एक महिला जिसके पति को गुजरे 15 साल हो गये थे वो अकेले रहते-रहते मानसिक रूप से विकृत होकर गाली-गलौच, मारपीट करने लगी और अपने का सर्वेसर्वा समझ कर बच्चों को डराने धमकाने लगी व अपनी इच्छा दूसरों पर थोपने लगी और बुरी लतों में फँस गई और अपनी माँ की इन हरकतों को देखकर बच्चों की सोचने समझने की शक्ति कम हो गयी और अपराध प्रवृत्ति में पड गये एवं उनके कोमल मन पर माँ की बुरी आदतों का इतना असर हुआ कि वे आज भी मानसिक रूप से बीमार है, कोई निर्णय नहीं ले सकते ना अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकते साथ ही बुरी लतोंमें फँसकर समाज से अलग-थलग होकर कुण्ठाग्रस्त जीवन जीने लगे। कोरोनाकाल में बेटी के विधवा होने पर व किसी के साथ अच्छा व्यवहार न होने के कारण तथा मानसिक रूप से विछिप्त होने के कारण 2 छोटे बच्चों के साथ अकेले जीवन जीते हुए अपराध प्रवृत्ति में पड गई तथा अपने बच्चों के साथ अपनी माँ जैसा व्यवहार करके उन्हें भी आदतन अपराधी बनने को मजबूर कर रही

है व दोनों माँ-बेटी अपने को सर्वेसर्वा समझकर व कोई रोकटोक करने वाला न होने पर अपनी गन्दी हरकतों से सीधे-सादे लोगों को परेशान करने लगी व उनकी वीडियो बनाकर व कॉल रिकार्डिंग कर व गाली-गलौच, मारपीट तथा हत्या की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगी व लोगों के घर परिवार तोडने लगी व उन्हे अपराधी बनने पर मजबूर करने लगी है। बच्चों पर अपनी इच्छा थोपने व अच्छा वातावरण देने की बजाय बच्चों पर दादागिरी करना व बात-बात पर अपशब्द बोलने व अपनी माँ का अव्यवहारिक व्यवहार देखकर बच्चे भी धीरे-धीरे मानसिक रूप से विक्षिप्त होकर छोटे-मोटे अपराध करने लगे जैसे - चोरी, लडाई-झगडा, अपशब्द बोलना इन्हीं संस्कारों व परिवार के गलत वातावरण के कारण व विपरीत परिस्थितियों में बच्चे बडे होकर बडे अपराधी बनते है। अगर इनके पति आज जिंदा होते तो ये न तो अपने आप को सर्वेसर्वा समझ पाती न समाज में इतना अपराध बढा पाती व बच्चों को एक अच्छा माहौल व संस्कार दे पाती तथा देश के अच्छे नागरिक बनने में सहयोग करती। इसलिये कहा भी जाता है कि एक महिला ही है जो घर बना भी सकती है और बिगाड भी सकती है। अगर यही महिलाएँ मजबूरीवश मानसिक रूप से विक्षिप्त ना होती तो बच्चों को अपराध प्रवृत्ति में धकेलने के बजाए देश का अच्छा नागरिक बना पाती इन सबके पीछे समाज भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है वो विधवा महिलाओं को अशुभ मानकर बात-बात में उन्हें प्रताडित करता है।

निष्कर्षः- आज के वैश्वीकरण के दौर में किशोर अपराध प्रवृत्ति को बढाने में सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक व परिस्थितिजन्य बहुत से कारक जिम्मेदार है। आज मनुष्य के जीवन में जितनी भौतिक सुख-सुविधाएं व संसाधनों में बढोतरी हुई है उतना ही किशोरों की अपराध प्रवृत्ति में पहले से अधिक बढोतरी देखने को मिली है। अतः कहा जा सकता है कि किशोर अपराध प्रवृत्ति को बढाने में कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका समाज की भी देखने को मिलती है।

संदर्भः-

1. आहूजा राम, आहूजा मुकेश (2011): ''विवेचनात्मक अपराधशास्त्र'' रावत पब्लिकेशन, जयपुर एवं नई दिल्ली - 110002

2. भट्टाचार्य, डॉ. सुनील कांत (2004): ''भारत की सामाजिक समस्याएं मुद्दे और परिप्रेक्ष्य'' राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली - 110002

3. सिंह, शशि भूषण (2017): ''अपराधशास्त्र'' अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली - 110002

4. सिंह, डॉ. निशांत (2016): ''भारत में अपराध एक विश्लेषण'' ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली - 110002

5. भारत में मानवाधिकारों की क्रियान्विति: राजस्थान के अभियुक्त एवं अपराधियों के विशेष संदर्भ में (2008) - विकास भटनागर

6. बाल अपराध की समस्या का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (2009) - तुलसी राम आमेटा

7. महिलाओं के प्रति अपराध एवं मानवाधिकार चेतना (2006) - इंद्र सिंह राठौर

8. किशोर न्याय अधिनियम, 2015

9. अमर उजाला (आँकडे-एनसीआरबी)